न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 92 / 2019

होरीलाल सैनी, मकान नं0 3 / 39 के सामने हाउसिंग बोर्ड, जवाहर नगर, भरतपुर।

बनाम

भूमि अवाप्ति अधिकारी, शहर भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 03.10.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री होरीलाल सैनी, मकान नं0 3 / 39 के सामने हाउसिंग बोर्ड, जवाहर नगर, भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 31.07.2019 के द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी, शहर भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। भूमि अवाप्ति अधिकारी, शहर भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 784 दिनांक 16. 09.19 से भूमि अवाप्ति अधिकारी, शहर भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी, शहर भरतपुर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं भूमि अवाप्ति अधिकारी, शहर भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट का कथन है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी, शहर भरतपुर से उक्त

सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिकारी, शहर भरतपुर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। भूमि अवाप्ति अधिकारी, शहर भरतपुर से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावाधान है। भूमि अवाप्ति अधिकारी, शहर भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। अपील स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी, शहर भरतपुर को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

(डॉ. जोगा राम)
जिला कलक्टर
भरतपुर